



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25062020-220169
CG-DL-E-25062020-220169

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1819]
No. 1819]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 25, 2020/आषाढ, 4, 1942
NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 25, 2020/ASHADHA 4, 1942

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जून, 2020

का.आ. 2045(अ).—पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में प्रयोक्ता के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (इसमें इसके बाद उक्त अधिनियम कहा गया है), की धारा 2 के खंड (क) के अनुसरण में, भारत सरकार एतद्वारा श्री प्रदीप अचरजी, संयुक्त सचिव, राजस्व विभाग एवं आरआरडीएम, त्रिपुरा सरकार को श्री रंजीत दास, उप समाहर्ता एवं बंदोबस्त अधिकारी, त्रिपुरा सरकार के स्थान पर, अतिरिक्त प्रभार के आधार पर, त्रिपुरा राज्य में मैसर्स इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड की नार्थ ईस्ट नेचुरल गैस पाइपलाइन ग्रिड परियोजना के लिए पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन्स (भूमि में प्रयोक्ता के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 के तहत सक्षम प्राधिकारी के कार्यों निर्वहन करने के लिये प्राधिकृत करती है।

2. यह अधिसूचना जारी किए जाने की तारीख से लागू होगी।

[फा. सं. एल-14014/161/2018-जीपी-II]

राज किशोर, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 18th June, 2020

S.O. 2045(E).—In pursuance of clause (a) of Section 2 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter called the said Act), the Government of India hereby authorizes Shri Pradip Acharjee, Joint Secretary, Revenue Department & RRDM, Government of Tripura vice Shri Ranjit Das, Deputy Collector and Settlement Officer, Government of Tripura to perform the functions of Competent Authority on additional charge basis under the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 for North – East Natural Gas Pipeline Grid Project of M/s Indradhanush Gas Grid Limited in the State of Tripura.

2. This notification will be effective from the date of its issue.

[F. No. L-14014/161/2018-GP-II]

RAJ KISHORE, Under Secy.